



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 1987/वैशाख 3, 1909
No. 9] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 1987/VAISAKHA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पन्न पक्ष)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

फा. सं. ए. 12022/8/86 पी ई-I:—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास
अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बी. के. श्रीवास्व, भा.

प्र. से. (पंजाब 77) को 1 अप्रैल, 1987 से 31 मई, 1991 अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए कान्डला पत्तन-न्यास में उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Port Wing)

New Delhi, the 23rd April, 1987

NOTIFICATION

F. No. A. 12022/8/86 PE.I.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of the Sub Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoint Shri B. K. Srivastava, IAS (Pb:77) as Deputy Chairman, Kandla Port Trust, Kandla with effect from the 1st April, 1987 to 31st May, 1991 or until further orders, whichever is earlier.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.